बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि0

मॉरीशन भवन, नियर – गोलघर, पटना – 800001

पत्रांक :– 724/16-17 दिनांक – 10-02-17

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार दूबे,
केशरी नगर, वीर कुंवर सिंह चौक, रोड नं0–4–5
पटना।

विषयः बिहार राज्य फिल्म विकास वित्त निगम लिमिटेड, मॉरीशन भवन पटना में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में संविदा आधारित **महाप्रबंधक के पद पर दिनांक–29.01.2017** को लिखित/साक्षात्कार परीक्षा हुई थी। मेधा सूची के आलोक में आपको संविदा के आधार पर **महाप्रबंधक के पद हेतु चयनित किया गया है।** अतः आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक– 24.02.2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करें। योगदान के समय किसी भी सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्व से कार्यरत कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।

संविदा आधारित नियुक्ति निम्न शर्तो के साथ की जाती है:–

1. आपकी नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह तक के लिए होगी तथा कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
2. आपके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
3. आपके विरूद्ध अनुशासनिक/आपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर आपकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
4. संविदा की अवधि में मानदेय के रूप में समेकित रूप से मो0–40 (चालीस) हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार के मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, इत्यादि देय नहीं होगा। भुगतेय राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
5. लगातार 7 (सात) दिनों तक अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
6. संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. आपके द्वारा बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। आपके द्वारा की गई क्षति/गबन की राशि की वसूली आपके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने के स्थिति में बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
8. आपके द्वारा निगम की सेवा छोड़ने से पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में निगम को एक माह का मानदेय एकमुश्त किया जाना होगा। भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगा।

प्रबंध निदेशक।

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि0

मॉरीशन भवन, नियर – गोलघर, पटना – 800001

पत्रांक :– 725/16-17 दिनांक – 10-02-17

सेवा में,

श्री अशोक कुमार गुप्ता,
कबीर मार्केट, चौथा तल, कुर्जी मोड़,
पटना।

विषयः बिहार राज्य फिल्म विकास वित्त निगम लिमिटेड, मॉरीशन भवन पटना में लेखापाल के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में संविदा आधारित **लेखापाल के पद पर दिनांक–29.01.2017** को लिखित/साक्षात्कार परीक्षा हुई थी। मेधा सूची के आलोक में आपको संविदा के आधार पर **लेखापाल के पद हेतु चयनित किया गया है।** अतः आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक–24.02.2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करें। योगदान के समय किसी भी सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्व से कार्यरत कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।

संविदा आधारित नियुक्ति निम्न शर्तों के साथ की जाती हैः–

1. आपकी नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह तक के लिए होगी तथा कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
2. आपके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
3. आपके विरूद्ध अनुशासनिक/आपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर आपकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
4. संविदा की अवधि में मानदेय के रूप में समेकित रूप से मो0–15 (पन्द्रह) हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार के मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, इत्यादि देय नहीं होगा। भुगतेय राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
5. लगातार 7 (सात) दिनों तक अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
6. संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. आपके द्वारा बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। आपके द्वारा की गई क्षति/गबन की राशि की वसूली आपके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने के स्थिति में बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
8. आपके द्वारा निगम की सेवा छोड़ने से पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में निगम को एक माह का मानदेय एकमुश्त किया जाना होगा। भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़िसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगा।

प्रबंध निदेशक।